—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 78/2019

उनवान

1. गणेश पुत्र गजानन्द
2. ओमप्रकाश पुत्र गजानन्द
3. मैना पुत्री गजानन्द समस्त जाति साधू निवासी ग्राम न्यारा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. पुखराज पुत्र गजानन्द जाति साधू निवासी ग्राम न्यारा, नसीराबाद
2. मैनेजर यूनियन बैंक आफॅ इंडिया, शाखा लीडी
3. मैनेजर यूनियन बैंक आफॅ इंडिया, शाखा भवनीखेडा
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—: अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
2 व 3 अनुपस्थित, 4 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 12.12.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम न्यारा के खाता संख्या 76/95 किता 6 रकबा 1.125, ग्राम काबरी चाट के खाता संख्या 58/19 किता 7 रकबा 1.735 व ग्राम भगवानपुरा के खाता संख्या 2/2 खसरा नम्बर 217 रकबा 0.37, 39/42 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.010 व 40/41 खसरा नम्बर 14/254 रकबा 0.01, 41/39 किता 4 रकबा 0.6233 की आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता गजानन्द पुत्र मोडदास के नाम खातेदारी दर्ज थी। उपरारेक्त आराजी पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थीगण के पिता को हस्तांतरण करने का काई अधिकार नही है। पैतृक भूमि पर प्रार्थीगण का भी हक व अधिकार निहित है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा कराया गया विक्रय/वसीयत/बक्शीशनामा प्रार्थीगण के हितों पर बातिल व बेअसर है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के खातेदार गजानन्द पुत्र मोडदास ने अपनी खातेदारी संपदा की वसीयत अपने जीवनकाल में दिनांक 17.05.2018 को दो गवाह के समक्ष उप पंजीयक कार्यालय ... अपनी पौत्री आरती के पक्ष में निष्पादित कर दी है। आरती जवाबकर्ता ... पुत्री गजानन्द की पौत्री है जिसे प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी... नहीं है। उक्त दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:48 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पंजीकृत होने से हाजा न्यायालय को सुनवाई का श्रेत्राधिकार नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता गजानन्द पुत्र मोडदास व अन्य व्यक्तियों की सह खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 निर्विवाद रूप से गजानन्द के विधिक वारिस है। अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि गजानन्द पुत्र मोडदास ने अपने जीवनकाल में आराजी मुतनाजा की वसीयत जवाबकर्ता की पुत्री आरती के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। किन्तु प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा को पैतृक बताया है। पैतृक भूमि की वसीयत एक व्यक्ति के पक्ष में किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण ने प्रकरण में आरती को पक्षकार नही बनाया है। किन्तु राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा आराती के नाम नही होकर मृतक गजानन्द पुत्र मोडदास के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 आरती का पिता है जिसके द्वारा प्रकरण में स्वयं भी आररती को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पेश किया जा सकता था। अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा गजानन्द पुत्र मोडदास की स्वअर्जित होने के संबध मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है। कब्जे के तथ्य मूल वाद में निर्धारित किये जायेगे। अतः प्रथम प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा गजानन्द पुत्र मोडदास की स्व अर्जित नही है। वसीयत के आधार पर भूमि आरती के नाम दर्ज की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। शेष तथ्यों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा का अन्यत्र हस्तांतरण किया जाता है तो वाद बहुलता की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम न्यारा के खाता संख्या 76/95 किता 6 रकबा 1.125, ग्राम काबरी चाट के खाता संख्या 58/19 किता 7 रकबा 1.735 व ग्राम भगवानपुरा के खाता संख्या 2/2 खसरा नम्बर 217 रकबा 0.37, 39/42 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.010 व 40/41 खसरा नम्बर 14/254 रकबा 0.01, 41/39 किता 4 रकबा 0.6233 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति ब[illegible]हन करे।

आदेश आज सरे इजलास [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद